(2019) 2 एस.सी.आर. 608

हिरेंद्र कुमार

बनाम

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अन्य

याचिका(सिविल क्र. 1343/2018) 29 जनवरी 2019

(न्यायमूर्तिगण डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ एवं हेमंत गुप्ता)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम 1975:

नियम 8,12 में नियम 8(1) के अनुसार समय–समय पर लेकिन पिछली भर्ती से तीन साल के भीतर उच्च न्यायालय भर्ती में किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या निर्धारित करेगा। नियम 12 के तहत अन्य न्यूनतम आयु 35 साल की मानदंड और 45 वर्षो की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है। उत्तर–प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (यू.पी.एच.जे.एस.) के लिए प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया उम्र के आधार पर नियम 8(1) और 12 में इस आधार पर यह चुनौती दी की उम्मीद्वार जिन्होंने अंतिम भर्ती की तारीख के बीच निर्धारित आयु सीमा पार कर ली है और इंटरगेशन में तीन साल के अंतराल में वर्तमान भर्ती शुरू हो गया है परीक्षा में उपस्थित से वंचित किया सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्तान में निर्धारित निर्देशों का ध्यान रखते हुए एच.जे.एस. में रिक्तियों को वार्षिक आधार पर भरना होगा।

सूरजबली सिंग मामले में उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा विशेष अनुमति याचिका वापिस ले ली गयी थी नियम 12 के अंतर्गत कुछ हद तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ से संजय अग्रवाल वाले मामले में इसे बरकरार रखा– कुछ हद तक मनमानी– किसी भी निर्धारित बनज ंवि आयु सीमा के सामने

आ सकती है, क्योंकि लाइन के गलत पक्ष के उम्मीद्वार को परिणाम के बाहर किया जा सकता है। हालांकि यह मानने का और कारण नहीं है कि निर्धारित कट–आफ मनमाना है। नियम की वैधता को व्यक्तिगत कठिनाई के मामलों पर निर्भर नहीं किया जा सकता है जो सामान्य अनुप्रयोग के सिद्धांत को लागू करने में अनिवार्य रूप से उत्पन्न वैधता को बरकरार रखा गया है(पैरा 20)

अंतिम तिथि व आयु सीमा आकस्मिक है जो एक प्राधिकरण चयन प्रक्रिया के समय निर्धारण करता है। अंतिम तिथि व आयु सीमा के संबंध में निर्धारित किया गया कि लाईन, कॉलम के गलत पक्ष पर एक उम्मीद्वार को परिणाम के रूप में बाहर रखा जा सकता है। हालांकि यह कोई कारण नहीं है कि कट–आफ जो निर्धारित है मनमानी है कट–आफ मनमानी है मानने के लिए व इस प्रकृति का होना चाहिए कि निष्कर्ष का नेतृत्व करने के लिये कि यह भी तर्क संगत आधार के बिना तय किया गया है या यह स्पष्ट रूप से अनुचित है क्योंकि उल्लघंन का निष्कर्ष संविधान के अनुच्छेद 14 (पैरा 21)

याचिकाकर्ता और अपीलकर्ता के अनुसार अदालत को 48 साल की ऊपरी आयु सीमा की प्राप्ति के संदर्भ में तारीख को वापस करना चाहिए नियम 12 न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करता है। (अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित आरक्षित उम्मीद्वारों के लिए 48 वर्ष) नियम के अनुसार आयु सीमा प्रथम जनवरी जिस वर्ष आवेदन आमंत्रित किया गया है उस आधार पर मानी जावेगी किंतु उम्मीद्वार जो अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं जहॉ तक नियम 12 के अंतर्गत योग्य ना हो। लेकिन जो पूर्ववर्ती तिथि पर उन उम्मीद्वारों को प्रभावित करेगा जो 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हैं लेकिन वर्तमान नियम के तहत है। नियम की वैधता व्यक्तिगत कठिनाइयों के मामलों पर निर्भर नहीं हो सकती जो सिद्धांत को लागू करने में उत्पन्न होती है। अंतिम तिथि का निर्धारण नीति के दायरे में निहित है। एक न्यायालय अपने न्यायिक पुर्नविलोकन अधिकारो का प्रयोग योजनाबद्ध तरीके से अपनी प्रक्रिया को चलाने के लिए नहीं कर सकती वह नियम को बनाने हेतु है जो अपनी शक्ति का प्रयोग नियम को बनाने हेतु करती है। (पैरा 27)

इसके अलावा मलिक अजहर सुलतान में दिए गए निर्देष किसी भी उम्मीद्वार के चयन के लिए या नियम के उल्लंघन में आयु में छूट के अधिकार का दावा करने के लिए कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं बनाते है। नियम –8 और 12 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।

जब वे आयु सीमा के भीतर थे तब उन्हें एच.जे.एस. परीक्षा में बैठने का पर्याप्त अवसर मिला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142, 233(3) के अनुसार इसमें सफल नहीं होने पर नियमों में छूट पाने या नियमों को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का उनका प्रयास गलत है।

सेवा कानून चयन–आयु सीमा। कट–ऑफ तिथि चुनौती आयोजित कट ऑफ तिथि या आयु सीमा तय करने की शक्ति नियामक नियंत्रण के लिए आकस्मिक है जो एक प्राधिकारी चयन प्रक्रिया पर प्रयोग करता है मनमाना और अधिकारातीत होने के लिए इसे बिना किसी तर्क संगत आधार के तय किया जाना चाहिए या संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन करने के लिए स्पष्ट रूप में अनुचित होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायिक सेवा नियम 1975 के नियम 8(1) के अनुसार भर्ती समय–समय पर होगी किन्तु अंतिम भर्ती के तीन वर्ष के पश्चात् की नहीं होगी। 1975 के नियम 12 के तहत इंटर एलिया के बीच में 35 साल की न्यूनतम एवं 45 साल की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है (एस.सी. और एस.टी.उम्मीद्वारों के लिए तीन वर्ष की छूट प्रदान की गयी है) उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (यूपी.एच.जे.) की सीधी भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। याचिका लागू होती है लेकिन नियम 12 में निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप नहीं होने से उम्र के आधार पर भर्ती से वंचित नहीं किया गया था याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं और 2019 केस नं. 1262 द्वारा दायर याचिका संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले अपीलकर्ता द्वारा दायर की गयी।

मालिक अजहर सुल्तान में जारी किए गए दिशा निर्देशों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रगतिशील रिपोर्ट जमा कर रहा है। मालिक अजहर सुलतान में दिशा निर्देशों का कार्य सुनिश्चित करना था कि जिला न्यायपालिका में रिक्तियों की न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता को कमजोर करने के लिए लंबे समय तक निरस्त नहीं किया गया है।

समान रूप से, अदालत इस तथ्य से संज्ञापक थी कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के भर्ती नियम है। यह उस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखता है कि जारी किए गए निर्देशों के सामान्य कार्यान्वयन की लगातार निगरानी की जा रही है। मलिक अजहर सुल्तान में निर्देश जिला मे रिक्तियों के मुद्दे को संबोधित करने का इरादा रखते है।

न्यायपालिका उन नियमों को समाप्त नहीं करती जो राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो में एच.जे. के चयन को नियंत्रित करती है और न ही वे चयन के लिए किसी भी प्रत्यर्थी(उम्मीद्वार) पर लागू करने का अधिकार प्रदान करती है जब तक नियम पूरी तरह पालन ना किए जाए नियमों द्वारा निर्धारित अन्य स्थितियों को पूरा करना चाहिए(पैरा 17,19)

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायिक सेवा नियमों 1975 के नियम 8 और 12 दोनों की वैधता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा प्रदान किए गए निर्णयों में संचालित किया गया है। सूरजबली सिंह में नियम 8 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। सूरजबली सिंह के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका वापिस ले ली गई थी। संजय अग्रवाल के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा नियम 12 की यह शिकायत का आधार नहीं होगा। यह निर्धारित करने लिए बार के किसी सदस्य ने सात साल के अभ्यास की आवश्यकता को पूरा किया है या नहीं कट–ऑफ तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। आयु सीमा की पूर्ति हेतु कट ऑफ तिथि निर्धारित की गई है जो जनवरी के प्रथम दिन से होगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की गई है सात साल की अभ्यास की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के प्रावधानों के लिए संदर्भित है। आरक्षित श्रेणी उम्मीद्वारों के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा या जैसा भी मामला हो हो सकता है एच.जे.एस. की भर्ती के लिए आयु मानदंड निर्धारित करने के लिए (पैरा 28)

1.6 इसी कारण उच्च न्यायिक सेवा नियमों किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जावेगा। नियम 8 और 12 की संवैधानिक वैधता के लिए चुनौती में कोई योग्यता नहीं है। (पैरा 29,30)

संदीप गुप्ता विरूद्ध इलाहाबाद में उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से रिट याचिका 19 जुलाई 2018 में किया W.P. 594 नं. 2016

सुरज बली सिंह विरूद्ध रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिट पीटिशन नं. 20708 न 2012

संजय अग्रवाल विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2007) 3 यू.पी.एल.बी. 2558 मंजूरी दी गयी

डॉ. अभीलाल मह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (1997) 65 सी.सी. 6141 (1997)।Suppl.SCR543 बिहार राज्य विरूद्ध रामजी प्रसाद (1990) 35 सी.सी. 368(1990) 25 सी.आर. 468, युनियन ऑफ इंडिया विरूद्ध शिवबचन राय (2001) 9 एस.सी.सी. 356 कानसिल आफ साइनटफिक और इनडरसटियल रिसर्च विरूद्ध रमेश चंद्र अग्रवाल (2009) 35 सी.सी. 351(2008) 17 एस.सी.आर. 1378

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विरूद्ध डी.टी.(मजदूर कॉंग्रेस (1991) supp 1 scc 600 (1990)। Suppl SCR 142 गौरीशंकर प्रसाद वि. उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट नं. 13309/2018 मलिक अजहर सुल्तान विरूद्ध उत्तर प्रदेश पब्लिक कमिशन (2008) 17 scc 703

<u>संदर्भित न्याय दृष्टान्त</u>

(1990) SUPPL SCR 142 Para 8 में संदर्भित

(2008) 17 SCC703 para 9 में संदर्भित

(1997) 1 SUPPL SCR 543 para 12 पर विश्वास व्यक्त किया

(2007) 3 UPL BCC 2558 para 12 पर विश्वास व्यक्त किया

(1990) 2 SCR 468 para 22 पर विश्वास व्यक्त किया

(1994) 4 SCC 212 para 22 पर विश्वास व्यक्त किया

(2001) 9 SCC 356 para 22 पर विश्वास व्यक्त किया

(2008) 17 SCR 1378 para 22 पर विश्वास व्यक्त किया

सिविल ओरिजनल/अपील अधिकारिता

रिट पीटीशन(सिविल) नं. 1343 नं. 2018

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
C.A.No. 1262 नं. 2019 WP(c) No. 1382 नं. 2018
विवेक सिंग स्वास्तिक दलार आभास कुमार सन्नी चौधरी, प्रतीका–द्विवेदी(पक्षकार)
प्रथम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया–
1. SLP (c) No. 15104 नं. 2018
2. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका के तहत दो रिट याचिकाएं शामिल है।
3. उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1975 के नियम 8(1) और 12 की संवैधानिक वैधता जारी है नियम–8 (1) और 12 में दिया गया है उस समय मौजूद रिक्तियों और अगले दो वर्षो में होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए भर्ती में लिए जाने वाले अधिकारियों की संख्या तय करें।
यदि किसी भी चयन पर चयनित प्रत्यक्ष भर्तियों की संख्या नियुक्ति के लिए उपलब्ध संख्या उस श्रोत से तय की गई भर्तियों की संख्या से कम है, अदालत पदोन्नति द्वारा ली जाने वाली भर्तियों की संख्या को तदनुसार बढ़ा सकती है।

बशर्ते इस नियम के तहत उपरोक्त रिक्तियों की संख्या को अगली भर्ती में सीधी भर्तियों के कोटे के लिए आबंटित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या तय करते समय ध्यान में रखा जाएगा और सीधी भर्तियों के लिए कोटा– तदनुसार बढ़ाया जा सकता है किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

सीधी भर्ती के लिए उम्मीद्वार की आयु 35–45 वर्ष के मध्य होना चाहिए जो जनवरी के पहले दिन उसके अगले वर्ष होनी चाहिए जिस वर्ष आवेदन आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों से संबधित उम्मीद्वारों के माामले में अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष अधिक होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए

4. उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती हेतु 10 मई 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था याचिकाकर्ताओं ने चयन के लिए आवेदन किया नियम 8 (1) की वैधता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष गौरी शंकर प्रसाद बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय मामले में चुनौती दी गई थी।

5. दिनांक 31 मई 2018 को उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने सूरजबली सिंह बनाम इलाहाबाद के मामले में समन्वित पीठ द्वारा 8 मई 2017 को तय किए गए नियमों को बरकरार रखा उच्च न्यायालय ने कहा याचिकाकर्ता 2012 और 2016 में भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने से रोकता नहीं था और इसलिए 2018 के विज्ञापन के संदर्भ में आयु वर्जित होने की शिकायत करना उसके द्वारा उचित नहीं था।

6. अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता का संबंध है उसे जुलाई 2018 में प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए एक प्रवेश पत्र जारी किया गया था और उसे सफल घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय ने उन उम्मीद्वारों की एक सूची प्रकाशित की जिन्होंने योग्यता अनुसार अंक प्राप्त किये थे लेकिन उन्हें अगले चरण में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता एक आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, लेकिन उसने 48 वर्ष की विस्तारित आयु सीमा को पार कर लिया है जिनकी जन्म तिथि। जनवरी 1971 है।

7. अन्य रिट याचिका सामान्य श्रेणी के याचिकाकर्ता से संबंधित है वह भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए लेकिन परिणाम घोषित किए गए तो उन्हें सूचित किया गया की वह नियम 12 के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत योग्य नहीं है। हिरेंद्र कुमार और देवी दयाल सिंग द्वारा दायर रिट याचिकाओं में नियम 8(1) और 12 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है।

8. याचिकाकर्ता के तर्क अनुसार–

i नियम 8 के तहत, उच्च न्यायालय को अंतिम भर्ती के तीन साल बाद अगले दो वर्षो की मौजूदा और संभावित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए अगली भर्ती में लिए जाने वाले अधिकारियों की संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता है।

ii नियम 8 के तहत यू.पी.एच.जे.एस. में भर्ती अंतराल तीन वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए

iii नियम 12 में निर्धारित किया गया है कि सीधी भर्ती के लिए उम्मीद्वार की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उस वर्ष के बाद जनवरी के पहले दिन 45 वर्ष की आयु को पार नहीं करना चाहिए जब आवेदन आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाती है।

iv नियम 8 और 12 के संचालन के परिणाम स्वरूप एक उम्मीद्वार जो पिछली भर्ती की तारीख और वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के बीच निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुका है उसे प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा।
v जो उम्मीद्वार अंतराल में तीन साल के अंतराल से प्रतिबंधित हो गए है वे परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएंगे।
vi दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन वि. डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में निष्पक्ष और समान व्यवहार के अधिवक्ता का उल्लेख है।

9. दूसरा उल्लेख इस प्रकार है:–
i मलिक मजहर सुल्तान बनाम यूपी लोक सेवा आयोग मामले में जिला न्यायाधीश के कैडर में रिक्तियों को भरने और राज्य की न्यायिक सेवा में पदो ंके लिए एक समय सारिणी निर्धारित की गई है।
ii उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती प्रत्येक वर्ष की जानी चाहिए
iii उत्तर प्रदेश राज्य में भर्ती नियम 8 के अनुसार अंतराल तीन वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए
iv मलिक मजहर सुल्तान में निर्धारित मापदण्ड भर्ती के संबंध में आज्ञापक है।
v आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ उस वर्ष के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए जिसमें भर्ती होनी चाहिए इसलिए वह उम्मीद्वार योग्य नहीं है जिन्होनें ऊपरी सीमा पार कर लिया है।

10. तीसरा उल्लेख इस प्रकार है:– 45 वर्ष आयु सीमा (48 वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी) उस वर्ष जनवरी के पहले दिन के संदर्भ में जिनमें आवेदन आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाती है, मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

11. चौथा उल्लेख इस प्रकार है:– बार में सात वर्ष होने की समय सीमा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि में आवेदन की तिथि अनुसार तथा दूसरी ओर 35 वर्ष या जैसा भी मामला हो 45 वर्ष आयु सीमा निर्धारित करने में वर्ष जनवरी का पहला दिन होता है।

12. उपरोक्त तथ्य को अस्वीकार करते हुए सुश्री प्रीतिका द्विवेदी विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आग्रह किया

(i) 1975 के नियम विधायी प्रकृति के है और यह केवल स्पष्ट मनमानेपन की स्थिति में ही नियम माना जा सकता है।

(ii) एक उम्मीद्वार को यह दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों को हर साल भरा जाना चाहिए।

(iii) नियम 8(1) में निर्धारित किया गया है कि भर्ती समय–समय पर होगी, लेकिन अंतिम भर्ती की तारीख से तीन साल के बाद नहीं। उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया को 2012, 2014 और 2016 में कर प्रतिवेदन समय –समय पर न्यायालय को दिया है जो कि मलिक मजहर सुल्तान मामले में दिशा निर्देश दिया गया है उच्च न्यायालय ने नियम 8 का पालन किया है।

(iv) याचिकाकर्ता जिन्होंने स्वेच्छा से भाग नहीं लिया या असफल रहें हैं, अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते ।

(v) मलिक मजहर सुल्तान के मामले में निर्णय स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए सामान्य निर्देश हर साल भर्ती आयोजित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के नियम के अधीन है प्रत्येक उच्च न्यायालय के नियम किसी भी मामले में, यह सामान्य निर्देश किसी उम्मीद्वार को कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं देते हैं;

(vi) उच्च न्यायालय ने नियम 8 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है जिस संबंध में सूरजबली सिंह के मामले में उल्लेख किया है तथा विशेष अनुमति याचिका को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया है

(vii) नियम 12 में यह आवश्यकता है कि सीधी भर्ती के लिए उम्मीद्वार की आयु जिस वर्ष आवेदन आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जाती है जनवरी के पहले

दिन 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीद्वारों के लिए 48 वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(viii) कट–ऑफ तिथियों का निर्धारित किया जाना विवेक के दायरे में आता है। डॉ. अमी लाल भट बनाम राजस्थान राज्य और अन्य सहित इस न्यायालय के कई फैसलों में इसी तरह के प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।

(ix) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नियम 12 की वैधता को बरकरार रखा है।

संजय अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(''संजय अग्रवाल'') मे समान नियम आयु के संबंध में में अन्य राज्यों की तरह बनाए गये हैं इसी तरह उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और सहित न्यायालय आयु मानदंड निर्धारित करने वाले समान नियम बनाए गए हैं।

13. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियॉ विचार के लिए आती है।

14. 1975 के नियमों के नियम 6 में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है।

यू.पी.एच.जे.एस. में भर्ती के 75% इन पदों को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के माध्यम से भरा जाना है। (प) 65% सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रैंक के न्यायिक अधिकारियों द्वारा योग्यता सह–वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण रैंक के न्यायिक अधिकारियों द्वारा और (पप) 10% सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रैंक के अधिकारियों में सीमित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से योग्यता के आधार पर कम से कम पांच साल की सेवा के साथ चुने गए हैं। शेष 25% की भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर बार से की जानी चाहिये।

15. नियम 8(1) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय समय–समय पर भर्ती में लिए जाने वाले अधिकारियों की संख्या निर्धारित करेगा। उक्त रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए जो तब मौजूद हैं और जो अगले दो वर्षों में होने की संभावना है। हालांकि, नियम 8 के उप–नियम(2) में यह निर्धारित किया गया है कि यदि नियुक्ति के लिए चयनित प्रत्यक्ष भर्तियों की संख्या उपलब्ध है उस स्त्रोत से न्यायालय द्वारा तय की गई संख्या से कम, न्यायालय तदनुसार न्याय सेवा से पदोन्नति द्वारा ली गई भर्तियों की संख्या बढ़ा सकता है।

16. नियम 12 के तहत न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वारों के लिए तीन साल की छूट दी जा सकती है।

17. याचिकाकर्ताओं की ओर से जो निवेदन किया गया था, वह मलिक मजहर सुल्तान मामले में इस अदालत के फैसले पर आधारित है। उच्च न्यायिक सेवा और जिला न्यायपालिका में अन्य सभी स्तरों पर रिक्तियों को भरने के लिए एक समय सारिणी तैयार करते समय, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती के नियम लागू हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा

''5. अधीनस्थ न्यायालयों और जिला न्यायालयों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य निर्देश और समय अनुसूची जारी करने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मौजूदा न्यायिक सेवा नियमों के अनुसार चयन किया जाना आवश्यक है। हालॉकि, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि, उपरोक्त, संबंधित अधिकारी विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात पर आम सहमति बने कि चयन प्रक्रिया स्वयं उच्च न्यायालय या लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाए।

मलिक मजहर सुल्तान में जारी किए गए निर्देशों की निगरानी इस न्यायालय द्वारा की जा रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रगतिशील रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है जिसकी निगरानी इस न्यायालय द्वारा अनुपालन के लिए की जाती है। मलिक अजहर सुल्तान में निर्देशों का उद्देश्य (उपर्युक्त) यह सुनिश्चित करने के लिए था कि जिला न्यायपालिका में रिक्तियों को लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जाए, जिससे न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता कम हो। समान रूप से, न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के अपने भर्ती नियम होते हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए निर्देशों के सामान्य कार्यान्वयन की लगातार निगरानी की जा रही है।

18. वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या मलिक मजहर सुल्तान में दिए गए निर्णय से यह निहित अधिकार हो सकता है कि जो उम्मीद्वार एच.जे.एस.में भर्ती के लिए आवेदन करता है, उसे इस तथ्य के आधार पर आयु में छूट दी जा सकती है कि भर्ती की

अंतिम तिथि और वर्तमान तिथि के बीच उम्मीद्वार ने निर्धारित आयु सीमा को पार कर लिया है।

19. मलिक मजहर सुल्तान में दिए गए निर्देशों का उद्देश्य जिला न्यायपालिका में रिक्तियों के मुद्दे को संबोधित करना है। ये निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एच.जे.एस.के लिए चयन को नियंत्रित करने वाले प्रचलित नियमों को दरकिनार नहीं करते हैं और न ही वे किसी भी उम्मीद्वार को चयन के लिए या आयु में छूट के अधिकार का दावा करने के लिए लागू करने योग्य अधिकार प्रदान करते हैं।

नियमों का उल्लंघन जब तक नियम प्रभावशील हैं, एक उम्मीद्वार को पात्र होने के लिए, आयु की आवश्यकताओं और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा जो नियमों द्वारा निर्धारित हैं।

20. इन कार्यवाहियों में जिस निवेदन का आग्रह किया गया है, वह है– कि नियम 8 में ''तीन साल के बाद का नहीं'' और नियम 12 में ऊपरी आयु सीमा का निर्देश अधिकार से बाहर और मनमाना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों में नियम 8 और 12 दोनों की वैधता को संबोधित किया गया है। सूरज बाली सिंह के मामले में नियम 8 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। इस न्यायालय के समक्ष जो निवेदन किया गया है, उसी पर खंड पीठ द्वारा उस निर्णय में विचार किया गया था।

सूरज बाली सिंह में फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका 4 अगस्त 2017 को वापस ले ली गई थी। नियम 12 की वैधता है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने संजय अग्रवाल के मामले में इसे बरकरार रखा।

21. कट–ऑफ डेट के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं। कट–ऑफ तिथि या आयु सीमा तय करने की शक्ति नियामक नियंत्रण के लिए आकस्मिक है जो एक प्राधिकरण चयन प्रक्रिया पर प्रयोग करता है। किसी भी कट–ऑफ या आयु सीमा के सामने कुछ हद तक मनमानेपन दिखाई दे सकता है जो निर्धारित की गई है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पंक्ति के गलत पक्ष पर एक उम्मीद्वार को बाहर रखा जा सकता है। लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जो कटौती निर्धारित की गई है, वह मनमाना है। यह घोषित करने के लिए

कि एक कटौती मनमाना और अधिकार से परे है, यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसे बिना किसी तर्कसंगत आधार के तय किया गया है या स्पष्ट रूप से अनुचित है। ताकि संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का निष्कर्ष निकाला जा सके।

22. इस न्यायालय के कई निर्णयों ने इस मुद्दे पर विचार किया है। डॉ. अमी लाल भट बनाम। राजस्थान राज्य '', इसकी दो न्यायाधीशों की पीठ न्यायालय ने राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 में निहित प्रावधानों पर विचार किया। नियम 11(1) में निर्धारित किया गया है कि सीधी भर्ती के लिए उम्मीद्वार को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद जनवरी के पहले दिन 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इस तर्क को खारिज करते हुए कि कट ऑफ था इस न्यायालय ने मनमाने ढंग से यह अभिनिर्धारित किया कि किसी पद के लिए अधिकतम या न्यूनतम आयु की आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाली कटौती का निर्धारण नियम बनाने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार में है। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

5.....सबसे पहले, किसी पद के लिए निर्धारित अधिकतम या न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि तय करना अपने आप में मनमाना नहीं है। मूल रूप से, किसी पद के लिए आवश्यक अधिकतम या न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि तय करना, नियम बनाने वाले प्राधिकारी या नियोक्ता, जैसा भी मामला हो, के विवेक पर निर्भर करता है। यह स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की कटौती नहीं की जा सकती है। किसी भी गणितीय सटीकता के साथ और इस तरह से तय किया जाता है कि सभी संभावित मामलों में कठिनाई से बचा जा सके। जैसे ही एक कट–ऑफ तिथि तय की जाती है, कुछ लोग होंगे जो कट–ऑफ तिथि के दाईं ओर आते हैं और कुछ लोग होंगे जो कट–ऑफ तिथि के गलत तरफ आते हैं। यह कट–ऑफ तिथि को मध्यस्थ नहीं बना सकता है, जब तक कि कट–ऑफ तिथि इतनी विस्तृत न हो।

इसे पूरी तरह से अनुचित बनाने के लिए चिन्हित करें''।

(प) बिहार राज्य बनाम रामजी प्रसाद 1 2 (''रामजी प्रसाद'') सहित अन्य निर्णयों में भी यही विचार अपनाया गया है।

11(1997) 6 एस.सी.सी.614 12 (1990) 3 एस.सी.सी.368 हीरा कुमार बनाम।
(पप) भारत संघ बनाम सुधीर कुमार जयसवाल (''सुधीर कुमार'') जयसवाल; (पपप) भारत संघ बनाम शिवबचन राय 14 14 (शिवबचन राय)
; और (पअ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् बनाम रमेश चंद्र अग्रवाल (रमेश चंद्र अग्रवाल'')।
23. रामजी प्रसाद के मामले में राज्य ने विज्ञापन जारी किए, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 1988 निर्धारित की गई। आवेदक के पास तीन साल का अनुभव होना चाहिए। यह तर्क देते हुए कि आवेदक निर्धारित तिथि तक अनुभव की निर्धारित आवष्यकता को पूरा नहीं कर सकते थे, कट–ऑफ तिथि को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से बाहर होने के रूप में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय की दो न्यायाधीश् ाों की पीठ ने कट–ऑफ तिथि को बरकरार रखा और इस प्रकार निर्णय दियाः
''8. यह स्पष्ट है कि अंतिम तिथि 31 जनवरी, 1988 निर्धारित करने में राज्य सरकार ने केवल पिछली प्रथा का पालन किया था और यदि उच्च न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि शायद हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है क्योंकि इसका हस्तक्षेप आधारित है अतीत की प्रथा पर झुकने के लिए उच्च न्यायालय ने कोई कार्य नहीं सौंपा है। तारीख चुनने के कारण। जैसा कि इस न्यायालय ने बताया है। तिथि के चयन को मनमाना नहीं कहा जा सकता है, भले ही नहीं विशेष कारण उसी के लिए आने वाला है जब तक कि यह नहीं है मनमौजी या सनकी या चौड़े होने के लिए दिखाया गया है उचित चिह्न विज्ञापन के लिए तिथि का चयन पदों को कई कारकों पर निर्भर करना पड़ता था, जैसे कि संख्या विभिन्न विषयों में रिक्तियों को भरने की आवष्यकता पद, उम्मीद्वारों की उपलब्धता आदि। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो अनुभवी उम्मीद्वार पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थे कट–ऑफ तिथि पर संख्याएंॅ। केवल इसलिए कि उत्तरदाता और कुछ अन्य लोग नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे यदि अंतिम तिथि आवेदनों की प्राप्ति 31 जनवरी, 1988 से जून तक स्थानांतरित कर दी गई है।

30, 1988 पहले की तारीख को मनमाना कहने का कोई कारण नहीं है या अतार्किक''।

24. सुधीर कुमार जयसवाल के मामले में तिथि जिसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के इच्छुक व्यक्ति की आयु पात्रता प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त के रूप में निर्धारित की जाती थी। प्रारंभिक परीक्षा आम तौर पर 1 अगस्त से पहले सालाना आयोजित की जाती थी। इस धारणा को खारिज करते हुए कि कट–ऑफ तिथि मनमाना है और इसलिए अधिकार से बाहर है,

इस न्यायालय की न्यायपीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

''5. लुइसविले गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी बनाम में होम्स, जे. द्वारा यह राय दी गई थी कि कट–ऑफ तिथि के चयन में कब हस्तक्षेप किया जा सकता है। साफ करें कोलमैन (277 यूएस 32: 72 एल एड 770 (1927) यह कहते हुए कि यदि निर्धारण ''किसी भी उचित निशान से बहुत व्यापक'' है, तो इसे मनमाना माना जा सकता है। होम्स, जे. द्वारा जो अवलोकन किया गया था, उसे इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा संघ में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था

भारत बनाम परमेश्वरन मैच वर्क्स (1975) 1 एस.सी.सी. 305: ए.आई.आर.1974 एस.सी. 2349) (पैराग्राफ 10 में) यह भी कहते हुए कि किसी तारीख के चयन को हमेशा मनमाना नहीं कहा जा सकता है, भले ही चयन के लिए कोई विशेष कारण सामने न आए, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया हो।

परिस्थितियों में मनमौजी या सनकी तथ्य है। यह आगे बताया गया कि जहां एक बिंदु या रेखा होनी चाहिए, उसे सटीक रूप से ठीक करने का कोई गणितीय या तार्किक तरीका नहीं है, और इसलिए, विधायिका या उसके प्रतिनिधि के निर्णय को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह नहीं कहा जा सकता है।

6. उपरोक्त निर्णय को डी.जी.गौस एंड कंपनी बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। केरल राज्य (1980) 2 एस.सी.सी. 410ः ए.आई.आर. 1980 एस सी 271); तो बिहार राज्य में भी बनाम। रामजी प्रसाद (1990) 3 एससीसी 368)।

7. इस संदर्भ में, यह कहना भी उपयोगी होगा कि जब किसी अदालत को इस तरह के मामले पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में केवल त्रुटियां सुधार के अधीन नहीं होती है; यह केवल इसका स्पष्ट मनमाना अभ्यास है जिसे घोषित किया जा सकता है:
शून्य। 8.....प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के निर्णय के बावजूद कट–ऑफ तिथि में बदलाव क्यों नहीं किया गया है, विषेष अनुमति याचिका के पैराग्राफ 3 में समझाया गया है। व्याख्या का योग और सार यह है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल एक परीक्षण परीक्षा है और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों की गिनती नहीं की जाती है।
योग्यता के क्रम का निर्धारण, जिसके लिए मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक, जो अभी भी 1 अगस्त के बाद आयोजित की जा रही है, अकेले सामग्री हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विधि शुरू करने के बावजूद 1 अगस्त को कट–ऑफ तिथि के रूप में माना जा रहा है।
25. शिवबचन राय के मामले में, संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मो में सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन दिया और एक आयु निर्धारित की है।
31 मई 1990 को सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच साल की छूट के साथ 35 साल की सीमा। पहले की अधिसूचना में कोई सीमा नहीं दी गई थी आयु में छूट। पॉच साल की शर्त को मनमाना और अधिकार से परे होने के रूप में चुनौती दी गई थी। दो न्यायाधीशों की पीठ ने अधिसूचना की बरकरार रखा और इस प्रकार निर्णय दिया:
''6.....किसी दिए गए पद के लिए किसी भी आयु सीमा का निर्धारण, साथ ही यह करना कि किस हद तक कोई छूट दी जा सकती है यदि
आयु सीमा निर्धारित की गई है, अनिवार्य रूप से नीति के मामले हैं। इसलिए , संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाते समय सरकार के लिए यह खुला है कि वह ऐसी आयु सीमा निर्धारित करे या यह निर्धारित करे कि किस हद तक कोई छूट दी जा सकती है। ऐसी सीमा का निर्धारण या छूट की सीमा दिया जाए, इसे मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता। द.
केवल उस आधार पर जिसके आधार पर प्रत्यर्थी ने केंद्र को स्थानांतरित किया

प्रशासनिक न्यायाधिकरण 1976 के पहले के नियम थे, जिसके तहत, हालांकि एक आयु सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन छूट की सीमा पर कोई सीमा नहीं रखी गई थी जो दी जा सकती थी। यदि ऐसे मामलों में मनमानेपन का कोई भी आरोप लगाया जा सकता है, तो कोई भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है छूट देने के लिए आधार जब छूट की सीमा पर कोई सीमा नहीं रखी जाती है, तो शक्ति के प्रयोग में मनमानी हो सकती है।

26. रमेश चंद्र अग्रवाल के मामले में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसके अवशोषण के लिए एक योजना तैयार की इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी प्रयोगशालाओं और संस्थानों में काम कर रहे शोधकर्ता। यह निर्धारित किया गया था कि पात्र आवेदकों के पास 2 मई 1997 को 15 साल का निरंतर शोध होना चाहिए। निदेशक को आवश्यकता में ढील देने की शक्तियां प्रदान की गई। यह तर्क देते हुए कि शोधकर्ताओं को कार्यकाल आम तौर पर 13 वर्ष है, 15 वर्ष के लिये अधिकार से बाहर और मनमाना होने के रूप में चुनौती दी गई थी। इस तर्क को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अपील पर, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने योजना और शोधकताओं के लिए लागू अवसरों की जांच की। यह देखते हुए कि शोधकर्ताओं के लिए 13 साल की कोई सीमा नहीं थी, इस अदालत ने 15 साल के लिए और कट ऑफ डेट को बरकरार रखा।

न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

''29.'' राज्य को एक कट–ऑफ तिथि तय करने का अधिकार है। इस तरह लिया फैसला इसे तभी निरस्त किया जा सकता है जब यह मनमाना हो। इसकी अयोग्यता यह इस सवाल पर भी निर्भर करता है कि क्या इसके पास है

प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध। 2–5 1997 योजना के संदर्भ में कट–ऑफ तिथि के रूप में तारीख तय की गई थी। इसलिए निर्धारित कारण यह था कि यह वह तारीख थी जब इस न्यायालय ने अपीलार्थियों को एक प्रारूप तैयार करने पर विचार करने का निर्देश दिया

नियमितीकरण योजना। वे कोई और तारीख ले सकते थे। वे फैसले की तारीख भी ले सकते थे श्री पटवालिया, कट–ऑफ तिथि के रूप में 2–5–1997 चुनकर, कोई अवैधता नहीं है। प्रतिबद्ध था। प्रत्यक्षः, इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

30. हालांकि, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि कट–ऑफ तिथि जारी करने की तारीख होनी चाहिए थी अधिसूचना। इस संबंध में नियोक्ता के पास एक विकल्प है। इसका विवेकाधिकार को मनमाना माना जा सकता है लेकिन फिर उच्च केवल कुछ लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने की दृष्टि से न्यायालय उम्मीद्वार एक और तारीख तय नहीं कर सकते थे, केवल इसलिए कि इसके अनुसार, एक और तारीख अधिक उपयुक्त थी। कानूनी तौर पर यह आवष्यक नहीं था। न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति यह पक्ष हालांकि मौजूद है लेकिन इस अर्थ में सीमित है कि आक्षेपित कार्रवाई को तभी रोका जा सकता है ज बवह मनमाना पाया गया। यह संभव है कि इस कारण से कट–ऑफ डेट पर एक कर्मचारी अपना मौका बहुत कम समय में गंवा देता है।

इस तरह के खतरे सभी सेवाओं में होंगे। केवल क्योंकि यह कुछ व्यक्तियों या एक वर्ग के लिए कठिनाई का कारण बनता है कर्मचारियों के लिए अपने आप में एक अच्छा आधार नहीं हो सकता है एक और कट–ऑफ तिथि निर्धारित करने का निर्देश देना।

27. ये निर्णय चुनौती का स्पष्ट जवाब देते हैं। याचिकाकर्ताओं और अपीलार्थी की इच्छा है कि इस न्यायालय को 48 की ऊपरी आयु सीमा की प्राप्ति के संदर्भ में वापस लेना चाहिए। विचार किया जाना चाहिए। इस तरह का अभ्यास अस्वीकार्य है। क्रम में प्रस्तुतिकरण में भ्रांति को स्वीकार करते हुए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित करता है। (48 अनुसूचित जाति के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए वर्ष रिब्स) नियम के तहत, आयु सीमा संदर्भ के साथ निर्धारित की गई है उस वर्ष के बाद वर्ष के जनवरी का पहला दिन जिसमें ई आमंत्रित आवेदन प्रकाषित किए जाते हैं। यदि प्रासंगिक तिथि हीरा कुमार बनाम होनी थी। याचिकाकर्ताओं की इच्छा के अनुसार, समय के पूर्ववर्ती बिंदु पर वापस ले लिया गया, यह सच है कि कुछ उम्मीद्वार जो नियम 12 के तहत ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुके हैं, वे पात्र हो सकते हैं। लेकिन, दिलचस्प रूप से यह उन उम्मीद्वारों को प्रभावित करेगा जिन्होंने पिछली तारीख को न्यूनतम

आयु 35 वर्ष नहीं प्राप्त की होगी, लेकिन वर्तमान नियम के तहत उस आयु को प्राप्त करेंगे। हम इस पहलू की ओर केवल इस बात पर जोर देने के लिए बढ़ रहे हैं कि नियम की वैधता को व्यक्तिगत कठिनाई के मामलों पर निर्भर नहीं किया जा सकता है जो अनिवार्य रूप से सामान्य अनुप्रयोग के सिद्धांत को लागू करने में उत्पन्न होते हैं। अनिवार्य रूप से, कट–ऑफ तिथियों को निर्धारण नीति के दायरे में निहित है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय उस कार्य को अपने लिए नहीं लेता है। स्पष्ट रूप से, यह नियम बनाने वाले प्राधिकरण के लिए है कि वह नियम बनाते समय उस कार्य का निर्वहन करे।

28. हम भेदभाव की शिकायत में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या बार के किसी सदस्य ने सात साल के अभ्यास की आवश्यकता को पूरा किया, कट–ऑफ तिथि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। आयु की पूर्ति के लिए मानदंड, कट–ऑफ तिथि जो निर्धारित की गई है, उस वर्ष के बाद जनवरी का पहला दिन है जिसमें आवेदन आमंत्रित करने की सूचना प्रकाशित की जा रही है। उपरोक्त दोनों कट–ऑफ तिथियां अलग–अलग आवश्यकताओं के संदर्भ में हैं। सात साल की अभ्यास आवश्यकता के प्रावधानों के लिए संदर्भित है संविधान का अनुच्छेद 233(2)। आरक्षित श्रेणी के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा, या जैसा भी मामला हो, 48 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीद्वार, एच.जे.एस. में भर्ती के लिए आयु मानदंड निर्धारित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण में निहित विवेकाधिकार का पालन करते हैं।

29. इसी कारण से, न्यास सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के साथ उच्च न्यायिक सेवा नियमों की तुलना के आधार पर भेदभाव या मनमानेपन का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। नियम विभिन्न संवर्गों को पूरा करते हैं। शासन करने वाले नियमों के दो समूहों की तुलना के आधार पर भेदभाव का मामला नहीं बनाया जा सकता है।

30. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि नियम 8 और 12 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं है। हम सहमत हैं। पहले उल्लेखित निर्णयों में नियम 8 और 12 को बरकरार रखने में उच्च न्यायालय के तर्क के साथ

31. वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया है कि चूंकि उन्हें बैठक में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान जारी किए गए अंतरिम निर्देशों के अनुसरण में, न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग यह निर्देश देने के लिए कर सकता है कि परिणाम घोषित किए जाएं।

32. हम उस अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। एक बात के लिए, वहॉ अन्य उम्मीद्वार होंगे जिन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है और जो आयु मानदंड को पूरा नहीं करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा, उम्मीद्वारों के एक समूह को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का सहारा लेकर आयु मानदंड का उल्लंघन करने की अनुमति देना। हमारे विचार में भारत को आमंत्रित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के लिए शासी नियमों का उल्लंघन है।

33. हम पाते हैं कि संदीप गुप्ता बनाम उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपने पंजीयक के माध्यम से 19 जुलाई 2018 को दिनांकित है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्ति का सहारा लेते हुए भारत, इस न्यायालय की दो न्यायाधीषों की पीठ ने कहा था कि आदेश विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया था और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, उस मामलें में, परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके थे जो एक विचार था जो न्यायालय के साथ अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का सहारा लेने के लिए था।
34. वर्तमान मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम हस्तक्षेप करने का कोई कारण या औचित्य नहीं देखते हैं। याचिकाकर्ताओं को अतीत में एक बार में एच.जे.एस. की परीक्षाओं में बैठने के पर्याप्त अवसर मिले थे। जब वे आयु सीमा के भीतर थे। इसमें सफल नहीं होने के कारण, नियमों में ढील देने या नियमों को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का रूख करने का उनका प्रयास गलत है।

35. उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिकाओं में या अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं रिट याचिकाओं के साथ–साथ दीवानी अपील तदनुसार खारिज हो जाएगी। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। लिखित याचिकाएँ और अपील खारिज कर दी जाती हैं।

Translated/Validated/Corrected by
CG State Judicial Academy, Bilaspur